रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-08012026-269207
CG-DL-E-08012026-269207

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 105]	नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 8, 2026/पौष 18, 1947
No. 105]	NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 8, 2026/PAUSHA 18, 1947

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 जनवरी, 2026

(आयकर)

का.आ. 115(अ).— केंद्र सरकार, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (23ईई) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा **कोर सेटलमेंट गारंटी फंड (पैन: AAAJA3150B)**, जिसे एक मान्यता प्राप्त क्लियरिंग निगम एएमसी रेपो क्लियरिंग लिमिटेड, द्वारा स्थापित किया गया है, को आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 के खंड (23ईई) के स्पष्टीकरण (iii) में उल्लिखित निर्दिष्ट आय के संबंध में उक्त खंड के प्रयोजन के लिए निर्धारण वर्ष **2024-25** और उसके बाद के निर्धारण वर्षों के लिए अधिसूचित करती है।

2. यह अधिसूचना इस शर्त के अधीन प्रभावी होगी कि एएमसी रेपो क्लियरिंग लिमिटेड द्वारा स्थापित **कोर सेटलमेंट गारंटी फंड (पैन: AAAJA3150B)** धारा 10 के खंड (23 ईई) में उल्लिखित शर्तों का पालन करना जारी रखेगा, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं:

क. आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139 की उपधारा (4ग) के अनुसार आय विवरण दाखिल करेगा।

ख. एएमसी रेपो क्लियरिंग लिमिटेड सेबी द्वारा क्लियरिंग निगम के रूप में मान्यता प्राप्त रहेगा।

[अधिसूचना सं. 06 /2026/फा. सं. 300197/212/2023-आईटीए-I]

हरदेव सिंह, अवर सचिव

व्याख्यात्मक ज्ञापन

यह प्रमाणित किया जाता है कि इस अधिसूचना को पूर्वव्यापी प्रभाव देने से (बोर्ड/विभाग के समक्ष आवेदन किए जाने के वर्ष से प्रभावी) किसी भी व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th January, 2026

(Income Tax)

S.O. 115(E).— In exercise of the powers conferred by clause (23EE) of section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies the **Core Settlement Guarantee Fund** (**PAN: AAAJA3150B),** set up by AMC Repo Clearing Limited, a recognized clearing corporation, with respect to specified income mentioned in Explanation (iii) of clause (23EE) of section 10 of the Income-tax Act, 1961, for the purpose of the said clause for the assessment year **2024-25** and subsequent assessment years.

2. This notification shall be effective subject to the conditions that **Core Settlement Guarantee Fund** (**PAN: AAAJA3150B)** set up by AMC Repo Clearing Limited shall continue to follow conditions mentioned in clause (23EE) of Section 10 including the following-

a. shall file return of income in accordance with sub-section (4C) of section 139 of the Income-tax Act, 1961.

b. AMC Repo Clearing Limited shall remain recognised as a clearing corporation by SEBI.

[Notification No. 06 /2026/F. No. 300197/212/2023-ITA-I]

HARDEV SINGH, Under Secy.

Explanatory Memorandum

It is certified that no person is being adversely affected by giving retrospective effect (with effect from the year of application made before the Board/Department) to this notification.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA